दिनांक–12 जून, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

	आपदा प्रबंधन विभाग	
1.	आपदा प्रबंधन राज्य कार्यकारणी समिति (प्रक्रिया एवं भत्ता) नियमावली–2012 की स्वीकृति के संबंध में।	स्वीकृत।
	आपदा प्रबंधन विभाग	
2.	आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवेदन) नियमावली–2012 की स्वीकृति।	स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
3.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०–XVII) के तहत दरभंगा जिलान्तर्गत एकमीघाट (दरभंगा–समस्तीपुर–SH-50 के दूसरे कि०मी० से) से खिरोई नदी के दाहिने तटबन्ध पर शोभन ग्राम (NH-57) तक पुल/पुलियों सहित पथ (पथांश की लम्बाई–10.075 कि०मी०) का निर्माण कार्य कुल 7266.73 लाख (बहत्तर करोड़ छियासठ लाख तिहत्तर हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने के संबंध में।	स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
4.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०–XVII) के तहत समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा–मोरवाड़ा पथ (वाया भिरहामोड़–कॉंकर–बेला) में करेह नदी के कॉंकरघाट पर भू–अर्जन, पहुँच पथ एवं बचाव कार्य सहित 16x24.75 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 3009.42 लाख (तीस करोड़ नौ लाख बयालीस हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने के संबंध में।	स्वीकृत।
	पथ निर्माण विभाग	
5.	नाबार्ड ऋण परियोजना (आर०आई०डी०एफ०–XVII) के तहत मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत अन्जानकोट–भुरकुरवा घाट में बुढ़ी गण्डक नदी पर भू–अर्जन एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य सहित 12x25.00 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य कुल 2366.68 लाख (तेईस करोड़ छियासठ लाख अड़सठ हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने के संबंध में।	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. पटना जिला के बिहटा अंचल अन्तर्गत मौजा–अमहारा, थाना संख्या–44, खाता सं०–478, खेसरा सं०–35 (अंश), कुल रकबा–0.26 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि मेगा औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु उद्योग विभाग को निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण इस शर्त्त पर करने के संबंध में कि भविष्य में यदि जमीन किसी प्राधिकार/अभिकरण को हस्तांतरित की जाएगी तो नियमानुसार राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. पटना जिला के पटना सदर अंचल के मौजा–सैदपुर मुसल्लह, थाना संख्या–03, वार्ड संख्या–15 के विभिन्न खेसरा के कुल रकबा–15.56175 एकड़ सरकारी भूमि (विवरणी संलग्न) रिजनल साईंस सेन्टर/साईंस सिटी की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को अन्तर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. नालन्दा जिलान्तर्गत सिलाव अंचल के मौजा– चमरडीहा, थाना नं0–445, खाता नं0–38, खेसरा नं०–10, 11 एवं 12 एवं खाता संख्या–36, खेसरा सं०–228 का कुल रकबा–6.27 एकड़ गैरमजरूआ आम/गैरमजरूआ मालिक भूमि आयुद्ध कारखाना राजगीर के बोरबेल निर्माण हेतु कुल 39,50,100/–रू0 (उनचालीस लाख पचास हजार एक सौ) के भुगतान पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। — स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

9. रब्बी विपणन मौसम 2012–13 अन्तर्गत राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए योजना प्राधिकृत समिति द्वारा बिहार राज्य खाद्य निगम को राज्य योजनान्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 1000.00 करोड़ (एक हजार करोड़) रूपये उपलब्ध कराने की अनुशंसा के आलोक में शेष 800 करोड़ रूपये का ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। — स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

10. श्री विपिन बिहारी लाल, सेवा निवृत उप निदेशक, खान को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति के निमित्त अपर निदेशक, खान का एक अतिरिक्त छाया पद सृजन के संबंध में। — स्वीकृत।

<u>कृषि विभाग</u>

11.	केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन का वर्ष 2012—13 में 139.44 करोड़ रूपये (केन्द्रांशः 70.60 करोड़ रू०, राज्यांशः 56.05 करोड़ रू० तथा किसान का अंशः 12.79 करोड़ रू०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा गत वर्ष की भांति परियोजना अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत (केन्दांश 50 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत) एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत (केन्द्रांश 40 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत) तथा प्रत्यक्षण मद में केन्द्रांश 75 प्रतिशत तथा राज्यांश 25 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति।	स्वीकृत।